सामंतवाद की विशेषताएँ

सामंती व्यवस्था में सबसे पहले राजा थे जो सामंतो को अपने अधीन रखते थे। राजा अपने सामंत को भूमि या जागीर का हस्तांतरण बड़ी तड़क-भड़क के साथ एक नाटकीय समारोह द्वारा संपन्न करवाते। सामंत को आजीवन अपने राजा के प्रति वफादार होने की शपथ लेनी पड़ती थी। पवित्र ग्रंथ बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेने के बाद राजा उस सामंत को सच्चाई से सेवा करने की शर्तों पर जागीर (fief) देता था। वस्तुतः जागीर जमीन का एक ऐसा भाग होता था जिसके अन्तर्गत शहर, घर, चर्च, जंगल, मछली पकड़ने की नदी या तालाब से कर वसूलने का हक, कमी या दास और अधीनस्थों से सेवा लेने का अधिकार राजा की तरफ से सामंतो को मिल जाता था। इसके लिए राजा एक अनुष्ठान की व्यवस्था करता था, जिसे अभिषेक कहते हैं। इसे 'स्वामीभक्ति की शपथ' कहा जाता था।

मध्ययुग के प्रारंभ में जब शिक्षा की बहुलता नहीं थी, तब भूमि

तब भूमि का स्वामित्व कागज पर लिख कर नहीं दिया जाता था, अपितु भूमि का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई शाखा, मिट्टी का एक ढेला, दस्ताना, तलवार या कोई ऐसी वस्तु दी जाती थी। बाद में जब अधिक लोग लिखना सीख गए तब संविदापत्र लिखकर हस्ताक्षर होने लगा। इस तरह होमेज (शपथ) स्वामिभक्ति और विनियोग के पश्चात् वह आदमी सामंत हो जाता था।

सामंत से राजा सैनिक सेवा की माँग निश्चित करता था। सामंत को जिम्मेदारी होती थी कि जागीर की हैसियत के अनुसार अपने स्वामी की सहायता वह करे। बाद में सामंतो द्वारा राजा को सैनिक सेवा मात्र 40 दिनों तक ही दिया जाने लगा। 12 वीं शताब्दी तक यह बात बड़े पैमाने पर नियमपूर्वक सभी यूरोपीय सामंतो के लिए लागू हो गई। राजा को 40 दिनों से अधिक सैनिक सेवा की आवश्यकता महसूस होता तो सेनाओं का खर्च उसे स्वयं वहन करना पड़ता था। पादरी सामंतो द्वारा भी राजा को सैनिक सेवा प्राप्त होती थी।

करने के लिए पादरी, सामंत और छोटे सामंतों को बुलाकर राजा विचार विमर्श करता था। इसी सामंती सभा के आधार पर बाद में चलकर इंग्लैंड में पार्लियामेंट (Parliament) का विकास हुआ। बीच-बीच बड़े-बड़े सामंतशाही के नेतृत्व में आपसी झगड़े, राजा तथा सामंत के बीच के झगड़ों को निपटाने के लिए अदालत लगती थी। राजा को अदालत के फैसले को मानना आवश्यक हो जाता था। धीरे-धीरे सामंतों की स्थिति मजबूत होने लगी।

सामंत राजा को नजराने देते थे। जैसे सेक्ट के समय, राजा की पुत्री के विवाह के समय, बेटे के नाइट बनते समय, जो भी उत्सव होते थे, उनके खर्च के लिए आर्थिक मदद सामंतों को देनी पड़ती थी।

राजा के मरने पर सामंत अपनी जागीर की सम्पूर्ण वार्षिक आय राजा के परिवार को देते थे। राजा विरोधी सामंतों की संपत्ति जब्त कर नए सामंत को दे सकता था। सामंत के नाबालिक उत्तराधिकारी की संपत्ति का मालिक राजा होता था। 14 वर्ष या कहीं-2 21 वर्ष की उम्र होने पर सामंत के उत्तराधिकारी को राजा पुनः सम्पत्ति लौटा देता था।

इकरारनामें के आधार पर राजा का यह कर्तव्य होता था कि अपने अधीनस्थ सामंतों को आवश्यकता पड़ने पर सैनिक मदद करे और उसके स्त्री-बच्चों का आदर करे।

जिस तरह राजा के अधीन सामंत थे उसी तरह सामंतों के अधीन किसान वर्ग था। यही वर्ग सम्पूर्ण सामंत प्रथा का आधार था। किसानों में गरीबों की ही संख्या ज्यादा थी जिन्हें न केवल एक निश्चित लगान (जिसे किसान सामंत को उपज के रूप में जो अदायगियाँ करते थे, के जिस के रूप में कर या लगान कहलाती थी) देना पड़ता था बल्कि वे अपनी इच्छानुसार जमीन नहीं छोड़ सकते थे। अधिकांश किसान बिना मजदूरी के वर्ष के अधिक समय सामंतों के खेतों में काम करते थे।

सामंतवादी व्यवस्था में भूमि को लेकर सामंतों व उपसामंतों के मध्य झगड़े होते रहते थे। ये आपस में लड़ते ही थे साथ-साथ राजा से भी लड़ पड़ते थे। ये युद्ध प्रायः किसानों द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली जमीन पर होते थे। जिससे किसानों के फसल और सम्पत्ति नष्ट होती थी, जिसकी उन्हें परवाह नहीं होती थी

सामंतवाद की एक प्रमुख विशेषता थी 'नाइट' बनना। प्रारंभ में नाइट अपनी वीरता प्रदर्शित हुआ करते थे वे अपने साथ अपने अस्त्रों को लेकर चलते थे और समूचे कबीले के समक्ष प्रस्तुत किए जाते थे। शौर्यता के अनुरूप वे जीवन व्यतीत करने का प्रयास करते थे, क्योंकि नाइटों से अब 'उदारता, भद्रता, निर्बलों की रक्षा, सम्मानित जीविका एवं सत्य के लिए लड़ने में निर्भीकता की शपथ दिलाई जाती थी।

नाइट बनने की इस परम्परा में कोई अफसर नहीं हुआ करता था, इनका कोई प्रबन्ध गठन नहीं था, और कोई जन्म से नाइट नहीं होता था। किंतु नाइट होना इतना सम्मानित समझा जाता था कि राजागण भी नाइट की उपाधि पाने के लिए लालायित रहते थे।

सामंतो के पुत्रों को नाइट बनाने की शिक्षा दी जाती थी।

इस प्रकार सामन्तवाद की विशेषताओं में प्रधानतः भूमि का महत्व, होमेज की प्रथा यानि सामंतो से अपनी अधीनता

स्वीकार कराना, सामंतों का स्वामी भक्ति प्रगट करना, सामंतों का अभिषेक करना सामंतों द्वारा सैनिक सेवा उपलब्ध कराना, सामंतों द्वारा राजा की शासन संबंधी बातों में सहायता करना, न्याय संबंधी बातों में भी सामंतों का प्रवेश था। इसके अलावे किसानों के भी कर्तव्य थे। वे साल भर में तीन प्रकार के कर अपने स्वामी को देते थे। अपनी फसल का दशांश स्वामी को देना पड़ता था। इसके अलावे कई प्रकार की सेवाओं अपने स्वामी को देनी पड़ती थी।